

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

दाखिल खारिज रिविजन वाद संख्या - 23/2013

लच्छु महतो वगै० बनाम् शौकत अली अंसारी

आदेश की क्रम  
संख्या  
और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश  
कार्रवाई  
दिप्प

13-09-2017

आदेश

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना एवं समर्पित कागजातों का अवलोकन किया। स्पष्ट है कि आवेदक लच्छु महतो वगै० पिता स्व० नरेश महतो, ग्राम पोटमदागा थाना रजरप्पा, जिला रामगढ़ द्वारा भूमि सुधार उप-समाहर्ता रामगढ़ में दायर दाखिल खारिज अपील वाद संख्या 05./2010-11 में दिनांक 14.12.2011 को पारित आदेश के विरुद्ध अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में दाखिल खारिज रिविजन वाद संख्या 23/2013 दायर किया गया है। दायर रिविजन वाद में प्रश्नगत भूमि से संबंधित माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत में CIVIL APPEAL N.- 9401 OF 2016 @ SLP (C) N.- 2793 OF 2016 लंबित है।

उक्त परिपेक्ष्य में अधोहस्ताक्षरी न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का आदेश पारित करना नियम के प्रतिकूल है। अतः बिना किसी प्रभावकारी आदेश के वाद के कार्रवाई बन्द की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,  
रामगढ़।

उपायुक्त,  
रामगढ़।